तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 06/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
06–5–2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 27–5–2024 को मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2341, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बरः1111F/FSSA/2024 दिनांक 28–10–2024 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 06–5–2025 को प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित को दिनांक 06–5–2025 को ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि वह बाहर से पनीर खरीद कर बेचता है, जिसमें उसने कोई मिलावट नही की है। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 27–5–2024 को समय 01–15 पी. एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर लगभग 4 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर आमजन के बिक्री हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित को गवाह श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। ....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 06/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही में आमजन की बिक्री हेतु रखे हुए लगभग 4 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर में से 01 (एक) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में तुलवाकर खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/– (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित को अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित, उक्त गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी विक्रेता सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित व उक्त गवाह को चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशीयों को दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को हिला मिलाकर एकरुप कर चारों शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना शीशी में फार्मेलीन की 20–20 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाइट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-2341, नमूना लेने की तारीख, स्थान व खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित, उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना शीशी को कागज में लपेट कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सील चपडी किया और चारों नमूना भागों को अपने में कब्जें में लेकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2341 का एक नमूना भाग श्री विश्वजीत, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 28–5–2024 को जमा करवाया तथा शेष तीन नमूना भाग मय फार्म नं. 6 के बन्द लिफावा, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाया। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2341 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./852/Act/2024/880 दिनांक 07–6–2024 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2341 असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सवाईसिंह द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2341 की रेफरल लेब से जांच हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2341 को जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर में भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच ......लगातार	

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

वरि. सिविल न्यायाधीश
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 06/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

प्रमाण पत्र क्रमांक:**1111F/FSSA/2024** दिनांक 28–10–2024 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2341, अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (नमूना संख्या S-2341) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी सवाईसिंह पुत्र किशोर सिंह जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राधेश्याम जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, बस स्टेण्ड़, रेवदर, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 10–6–.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट

सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)